उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय

बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल

शैक्षणिक विवरणिका 20 ____–20____

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से सम्बद्ध

दूरभाष : (01382) 256272

मूल्य : 60/–

महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल

परिचय

यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटद्वार से ऋषिकेश के मध्य उच्च शिक्षा का कोई माध्यम न होने के कारण यह महसूस किया गया है कि यमकेश्वर ब्लाक के ग्राम बिथ्याणी (यमकेश्वर) जो कि कोटद्वार एवं ऋशिकेष से 70-70 किमी0 के मध्य स्थित है, में उच्च शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की जाये। यमकेश्वर, दुगड्डा तथा द्वारीखाल विकास क्षेत्र का मिलानी क्षेत्र के छात्र/छात्राओं खासतौर से कम सम्पन्न परिवार के बालक एवं बालिकायें उच्च शिक्षा से वंचित रहते आये थे और धनाभाव एवं साधनाभाव के कारण काफी छात्र/छात्रायें उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। इस महाविद्यालय की प्रेरणा श्री गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) परम पूज्य गोरक्षापीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ जी महाराज (वर्तमान में ब्रह्मलीन) एवं उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी महंत श्रीयुत योगी आदित्यनाथ जी सांसद गोरखपुर (वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश) ने दी और महाविद्यालय संचालन के लिए शिक्षा समिति के गठन, पंजीकरण एवं भूमि की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक मार्ग निर्देशन दिया।

उक्त निर्देशन प्राप्त होने पर महायोगी गुरू गोरखनाथ शिक्षा समिति बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल का गठन वर्ष 1998 में किया गया तथा सोसाइटी का पंजीकरण दिसम्बर 1998 में सम्पन्न हुआ। शिक्षा समिति ने फिर भूमि की व्यवस्था पर विचार किया जिसमें ग्राम बिथ्याणी, मुंजरा, मलेथा के भूमि दाताओं से भूमि दान करने की अपील की गयी। उक्त सम्मानित भूमि दान दाताओं ने भूमि दान देने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और वर्ष 1999 अक्टूबर में चार दिन में ही 165 नाली भूमि का शिक्षा समिति के नाम पर पंजीकरण हो गया। भूमि पंजीकरण हेतु परम पूज्य महंत जी एवं क्षेत्र के दानदाताओं ने भी अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। वर्तमान में 179 नाली भूमि महाविद्यालय के नाम दर्ज है।

वर्ष 1999 से क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रारम्भ करने के उद्देश्य से स्थान बिथ्याणी के मिलन केन्द्र पर ट्यूटोरियल कक्षायें प्रारम्भ की गयी जो वर्ष 2004 तक संचालित होती रही। लेकिन 2004 में शिक्षा समिति के अध्यक्ष माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ट्यूटोरियल कक्षायें स्थगित करके महाविद्यालय की विधिवत शासन से मान्यता तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार शिक्षा समिति ने शासन-प्रशासन से पत्राचार शुरू

किया तदुपरान्त जून 2005 को शासन से महाविद्यालय को मान्यता तथा हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्धता प्राप्त हुई।

महाविद्यालय का प्रथम सत्र जुलाई 2005 से प्रारम्भ हुआ जिसमें कला संकाय के सात विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2006 से ही महाविद्यालय में संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें संचालित की जाने लगी।

महाविद्यालय के नवनिर्माण हेतु स्व० आनन्द सिंह बिष्ट जी पूर्व उपाध्यक्ष महाविद्यालयसमिति एवं अन्य सदस्यगणों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। माननीय बिष्ट जी के अनेक वर्षों की तपस्या तथा अथक प्रयास से महाविद्यालय क्रमश: प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। प्रबन्धक महोदय का सपना था कि इस महाविद्यालय का राजकीयकरण के साथ ही महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाओं सहित अन्य संकाय एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाएें जिससे इस क्षेत्र की समस्त जनता लाभान्वित हो सके। उनके अथक प्रयास एवं सेवाभाव के लिए समस्त क्षेत्रवासी एवं महाविद्यालय परिवार उनका आभार व्यक्त करते हैं।

25 मई 2017 को शासन द्वारा महाविद्यालय अनुदानित हुआ तत्पश्चात शासनादेश सं0. 538 /XXIV(7) 2018-14 (घो0) 15 दिनांक 27 सितम्बर 2018 को महाविद्यालय का राजकीयकरण हुआ व आज महाविद्यालय ''महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय'' के रूप से स्थापित है। वर्ष 2018-19 से महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र भी स्थापित हो गया था, जिससे स्नातक कला वर्ग एवं स्नातकोत्तर कला वर्ग में प्रवेश करके छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। शासनादेश सं0 229898/XXIV-C-2/2024/04 (घो0) 2022 दिनांक 2 अगस्त 2024 के अन्तर्गत महाविद्यालय में स्नातक स्तर में विज्ञान वर्ग के 6 विषयों (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान) में कक्षाओं को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जुलाई 2025 से महाविद्यालय में स्नातक विज्ञान वर्ग की कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ हो रहा है।

प्रवेश नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी)

साधारण नियम-

- विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश संभव नही होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वत: Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्ही विद्यार्थियों को प्रवेश देंगें जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वंय प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

- (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय–परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप से प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश

को प्रवेश नियम 1.7 के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यता उपलब्ध करायी जायेगी।

- प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/ संस्थान/ संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है-

1- अनुसूचित जाति	**19 प्रतिशत**
2- अनुसूचित जनजाति	**04 प्रतिशत**
3- अन्य पिछड़ा वर्ग	**14 प्रतिशत**
4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)**

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा।

1- महिलाएं	**30 प्रतिशत**
2- भूतपूर्व सैनिक	**05 प्रतिशत**
3- दिव्यांग	**05 प्रतिशत**
4- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	**02 प्रतिशत**

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की

जा सकती है।

- स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर) 20 अंक

(ख) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन – 20 अंक

(ग) शासन द्वारा/खेल फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 30 अंक

(घ) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(ड.) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(छ) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक

(ज) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट– उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा। तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश लिया है और उसके परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

  (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

- श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0, सी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

- (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

  (ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा संबंधित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात् विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर निम्नवत् विषयवार सीटें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

कला संकाय-

S.N	Department	Course	Duration	Nature	Seats
1	Hindi	B.A.	6 SEM	Regular	60
2	English	B.A.	6 SEM	Regular	60
3	Sanskrit	B.A.	6 SEM	Regular	60
4	Political Science	B.A.	6 SEM	Regular	60
5	Economics	B.A.	6 SEM	Regular	60
6	History	B.A.	6 SEM	Regular	60
7	Sociology	B.A.	6 SEM	Regular	60

विज्ञान संकाय-

S.N	Department	Course	Duration	Nature	Seats
1	Mathematics	B.Sc.	6 SEM	Regular	60
2	Physics	B.Sc	6 SEM	Regular	60
3	Chemistry	B.Sc	6 SEM	Regular	60
4	Botany	B.Sc	6 SEM	Regular	60
5	Zoology	B.Sc	6 SEM	Regular	60
6	Computer Science	B.Sc	6 SEM	Regular	60

अर्हता निर्धारण के नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)

(शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से प्रभावी)

अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम-

- स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/निदेशक द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :-

(1) कला संकाय हेतु इण्टमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला) परिवर्तित कर परिसर/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक

प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया किया जा सकता है।

- परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाईप्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

अध्ययन विषय एवं पाठ्यक्रम संयोजनः-

1. कला संकाय

स्नातक- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं समाजशास्त्र।

2. विज्ञान संकाय

स्नातक- गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किए जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-1196/xxiv-c-4/2021-01(06) 2019, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा निर्देश।

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Discipline Specific Core (DSC) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0-सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुसंशा के अनुरूप विश्वविद्यालय की व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को 06 समूहों A से F में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत् हैं :

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group E
अंग्रेजी साहित्य (English Literature) संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature) गणित (Mathematics)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)	समाज शास्त्र (Sociology)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 03 डी0एस0सी0- विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core)विषयों का चयन करेगा।

विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में चयनित डी0एस0सी0- विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी दिए गए एक समूह से केवल 01 का डी0एस0सी0- विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core)विषय के रूप में चयन कर सकता है।

अतः विद्यार्थी 02 से अधिक भाषा अथवा साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा। प्रवेज़ार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0-सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

नोट : (1) बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर में वे ही अभ्यर्थी गणित विषय का चयन कर सकते है जिन्होने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की हो।

विज्ञान संकाय (Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी0ई0-सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

गणित समूह (Mathematics Group)

Group A	Group B	Group C
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chemistry) कम्प्यूटर सांइस (Computer Science)
जीव विज्ञान समूह (Bio Group)		
Group A	**Group B**	**Group C**
वनस्पति विज्ञान (Botany)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chemistry)

कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE)

- ऐसे विद्यार्थी जो 03 डी0एस0सी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हे प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।
- (DSC/DSE/GE) किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।
- बहुविषयकता (Multi disciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधाानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक (GE) का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।

ए0 ई0 सी0- क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course) : विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक क्षमता संयोजन पाठ्यक्रम (AEC) पूर्ण करना होगा।

एस0 ई0 सी0- कौशल संवर्धान पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course) : कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (SEC) सभी विषयों में कौशल आधारित पाठ्यक्रम है और इनका उद्देश्य व्यवहारिक प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल आदि प्रदान करना है। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/ Recognized online plate forms से पूर्ण करना होगा।

वी0 ए0 सी0-मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course) :(VAC) मूल्य योजन पाठ्यक्रमहै। जो छात्रें को नैतिकता, सांस्कृतिक, भारतीय ज्ञान प्रणाली, संवैधानिक मूल्यों, मृदु-कौशल (Soft Skills), खेल, शारीरिक शिक्षा और ऐसे समान मूल्यों को विकसित करने के लिए है जो छात्रों के सर्वागीण विकास में सहायता करेंगे। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

● **आई0 ए0 पी0 सी0 (इन्टर्नशिप / प्रोजेक्ट/ अप्रेन्टिसशिप/ कम्यूनिटी आउटरीच/ फील्डवर्क पाठ्यक्रम) :**

इन्टर्नज़िप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसज़िप/कम्यूनिटी आउटरीच/फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/Fieldwork से संबंधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।

अत: किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आवंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तित किया जाना संभव नही होगा।

Minor Project : स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस0ई0सी0 (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।

Data Science : कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस0ई0सी0 के अन्तर्गत डाटा साइंस से संबंधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

List of AEC's

S.N.	Subject	Year	Semester	Title of the Course
1	English	1	I	English Language through Literature
			II	English Communication
		2	III	Communication through Digital Tools
			IV	Inroduction to Translation
2	Hindi	1	I	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड अ)
			II	हिन्दी भाषा : व्याकरण (खण्ड ब)
		2	III	हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खण्ड अ)
			IV	हिन्दी भाषा : स्वरूप एवं प्रकार (खण्ड ब)
3	Sanskrit	1	I	संस्कृत भाषा एवं साहित्य
			II	संस्कृत भाषा– संज्ञा एवं परिभाषा
		2	III	संस्कृत भाषा– संधि एवं उपसर्ग
			IV	संस्कृत भाषा– कारक एवं प्रत्यय
4	Reasoning an Aptitude		IV	Optional in UG fourth semester (Note : Student can also opt for any other modern Indian Language/Foreign Language from recognized online learning plateforms)

LIST OF SKILL ENHANCEMENT COURSES (SEC'S)

S.No.	SUBJECT	YEAR	SEMESTER	NAME OF THE COURSE
01	Botany	1	I	Mushroom Cultivation I
			II	Mushroom Cultivation II
		2	III	Mushroom Cultivation III
			IV	Mushroom Cultivation IV
		3	V	Mushroom Cultivation V
			VI	Mushroom Cultivation VI
		1	I	Nursery Development And Floriculture I
			II	Nursery Development And Floriculture II
		2	III	Nursery Development And Floriculture III
			IV	Nursery Development And Floriculture IV
		3	V	Nursery Development And Floriculture V
			VI	Nursery Development And Floriculture VI
02	Chemistry	1	I	Introduction to Chemistry Laboratory
			II	Laboratory Techniques
		2	III	Cosmetics And Perfume
			IV	Soap And Detergents Formulation
		3	V	UV and FTIR Spectroscopy
			VI	HPLC And GC Techniques
03	Computer Science	1	I	Excel
			II	Power Point Presentation
		2	III	Office 365
			IV	Cyber Security Awareness
			V	Client-Side Web Technology
		3	VI	Server Side Web Technology
04	Mathematics	1	I	Mathematical Techniques
			II	Data Analysis Methods
		2	III	Financial Mathematical Analysis
05	Physics	1	I	Basic Instrumentation Skills -I
			II	Basic Instrumentation Skills -II
		2	III	Basic Instrumentation Skills -III
			IV	Basic Instrumentation Skills -IV
		3	V	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques -I
			VI	Advanced Instrumentation and Measurement Techniques -I
		1	I	Pearl Culture – Theory & Practical
			II	Vermiculture - Theory & Practical
		2	III	Sericulture Theory & Practical

06	Zoology		IV	Biofloc Fish Culture - Theory & Practical
		3	V	Immunodiagnostics - Theory & Practical
			VI	Hematological Techniques - Theory & Practical
07	Economics	1	I	Regional Economics and Urbanization In Uttarakhand
			II	Environmental Economics
		2	III	Enterpreneurship Development Skills
			IV	Fundamental of Startups
08	English	1	I	Public Speaking and leadership Skills
			II	Creativity and Performances in Uttarakhand
		2	III	Academic Writing
			IV	Editing and Proofreading
		3	V	Language and Journalism
			VI	Film Appreciation
		1	I	प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं शासकीय पत्र लेखन
			II	हिन्दी में भाषा कम्प्यूटिंग एवं संचार
			III	रचनात्मक लेखन का परिचय
09	Hindi	2	IV	सोशल मीडिया लेखन
			V	पटकथा लेखन
		3	VI	गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति
		1	I	नित्यनमित्तिक अनुष्ठान
			II	संस्कृत संगणक
			III	ज्योतिषशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त
10	Sanskrit	2	IV	संस्कृत छन्द एवं संगीत
		3	V	रंगमंच के सिद्धान्त
			VI	भारतीय वस्तुकला
		1	I	Techniques of Social Research- I (Research Problem Identification and Data Collection)
11	Sociology		II	Techniques of Social Research- II (Data Management Analysis, and Presentation)
		2	III	Applied Anthropology- I (Know Your People: Understanding the Ethnic Diversity of Uttarakhand)

			IV	Applied Anthropology- II (Tribal Skills: Challenges and Opportunities)
		3	V	Public Policy – I Public Policy Formulationand Stakeholders)
			VI	Public Policy – II (Public Policy Evaluation and Impact Assessment)
		1	I	Art Appreciation: Art and Architecture in Ancient and Early Medieval India (From Earliest times to 1200 CE)
12	History		II	Art Appreciation: Art and Architecture in Medieval and Modern India (From 1200 CE to 1950 CE)
			III	Culture Heritage Management in Uttarakhand
		2	IV	Exploration in History :Research and Analysis
		3	V	Conservation of Museums and Archives in India
			VI I	Heritage Tourism in India Introduction to Politics and Political Process
		1	I II	Introduction to Politics and Political Process Political Leadership
13	Political Science	 2 3	III IV V VI	Governance & Public Policy Introduction to the Indian Constitution Leadership in Democracy Political Training
14	Data Science	Data Science		

नोटः कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम दो वर्षों में किसी एक सेमेस्टर में SEC के अन्तर्गत Data Science से संबंधित कोई एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

List of VAC'S

वी०ए०सी०- मूल्य योजन पाठ्यक्रमः महाविद्यालय में स्नातक स्तर के कला एवं विज्ञान संकाय दोनों संवर्ग के छात्रें के लिए ये पाठ्यक्रम रहेगा।

Pool	Year	Semester	Title of the Course
		I	Environmental Studies and Value Education
A	1	II	पंचकोशः व्यक्तित्व का समग्र विकास
		III	संस्कृत वाङ्गमय में पर्यावरण चेतना
	2	IV	Vivekanand Studies

उत्तीर्णता प्रतिशत

- Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जाएगा।
- उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विष्ठायों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit ब्वनतेम हैं, तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिज़त अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।
- सह पाठ्यक्रम कोर्स Co-Curricular Course तथा तृतीय वर्ष/षष्ठ्म सेमेस्टर में लघु शोध (Minor Project) Qualifying है तथा इनके उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत होंगे।
- सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोधा के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंको की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा प्राप्त अंको को जोड़कर की जाएगी।
- मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
- सह-पाठ्यक्रम/लघु शोधा विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिाकतम 75 अंकों में 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।
- किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिज़त नही है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) अंक मिलते हैं तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।
- किसी भी प्रकार कृपांक (Grace marks) नहीं दिए जायेंगे।

बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement)की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।
- विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

शिक्षणेत्तर क्रिया-कलाप-

छात्रों के चहुँमुखी विकास के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणेत्तर व्यवस्था उपलब्ध है:-

1. राष्ट्रीय सेवा योजना	2. क्रीडा परिषद्
3. विभागीय परिषद्	4. सांस्कृतिक परिषद्
5. रोवर/रेंजर	6. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
7. छात्रवृत्ति	8. पुस्तकालय/वाचनालय
9. कम्प्यूटर प्रयोगशाला	10.अन्य गतिविधियां (MOU)

1. **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)**- महाविद्यालय में वर्ष 2008 से रा0से0यो0 की एक इकाई (100 स्वंयसेवी) संचालित हो रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न गाँवों में स्वंयसेवियों के द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रमों जैसे- पर्यावरण प्रदूषण, एड्स, रक्तदान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं गाँवों में स्वच्छता अभियान के माधयम से लोगों को जागरूक किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन कार्यक्रम अधिकारी के मार्ग निर्देशन में किया जाता है। 7 मई 2004 को जारी शासनादेश में 'ए', 'बी' तथा 'सी' प्रमाण पत्र हेतु निम्न आवश्य शर्तों का निर्धारण किया गया है।

(I) 'ए' प्रमाण पत्र हेतु सामान्य व विशेष कार्यक्रमों में 240 घण्टे की सेवा तथा एक सात दिवसीय विशेष शिविर में सहभागिता करने वाले स्वंयसेवियों को प्रदान किया जाएगा।

(ii) 'बी' प्रमाण पत्र हेतु उपरोक्त कार्यक्रमों ('ए') प्रमाण पत्र हेतु) को करने के पश्चात् नामांकन के प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्यक्रम पर 100 अंकों की परीक्षा पास करनी होगी।

(iii) 'सी' प्रमाण पत्र हेतु नामांकन के द्वितीय वर्ष में निश्चित उपस्थिति तथा 'बी' प्रमाण पत्र हेतु आयोजित परीक्षा पास करने वाले स्वंयसेवी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यह परीक्षा भी 100 अंको की होगी।

2. क्रीड़ा परिषद्-छात्र/छात्रओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के परिपेक्ष में पठन-पाठन के साथ-साथ क्रीडा गतिविधियों का होना भी आवश्यक है महाविद्यालय में एथलैटिक्स, क्रिकेट, बैटमिन्टन एवं वॉलीबॉल आदि क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। वार्षिक समारोह में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया जाता है।

3. विभागीय परिषद्-प्रतिवर्ष सभी विषयों में विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है, जिनके माधयम से विभिन्न शिक्षणेत्तर कार्यक्रम निबन्ध, सामान्य ज्ञान, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किये जाते हैं।

4. सांस्कृतिक परिषद्-सांस्कृतिक परिषद् के तत्वाधाान में प्रतिवर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत लोकगीत, लोकनृत्य, एकल नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।

5. रोवर/रेंजर-महाविद्यालय में 2025 से रोवर/रेंजर संचालित हो रही है। रोवर/रेंजर के लिए आयु 15 से 25 वर्ष के बीच है यह भारत स्काउट एवं गाइड्स की एक वरिष्ठ शाखा है जिसका उद्देश्य युवाओं को समाज सेवा और नेतृत्व के लिए तैयार करना है। एक वर्ष की सेवा के बाद ''निपुण रोवर/रेंजर'' प्रमाण पत्र और फिर एक और वर्ष के बाद ''राष्ट्रपति पुरस्कार'' दिया जाता है।

6. अन्य गतिविधियाः- (MOU)

(I) स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट एवं महायोगी गुरू गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल के मध्य एक समझौता हुआ है जिसमें स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के द्वारा महाविद्यालय के 25 प्रतिभावान छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं भविष्य में व्यवहारिक और रोजगार सृजन हेतु अनुदान सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

(ii). गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर एवं महायोगी गुरू

गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी (यमकेश्वर) पौड़ी गढ़वाल के मध्य एक समझौता हुआ है। जिसमें महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं एंव यमकेश्वर ब्लाक के ग्रामीणों/किसानों को मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेरी पालन, बागवानी आदि में कृषि प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक तकनीकों के द्वारा कृषि एंव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही विश्वविद्यालय का भ्रमण कराया जायेगा।

7- स्व0 श्री आनन्द सिंह बिष्ट स्मृति प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र/छात्राओं के सर्वागीण विकास के लिए निबन्ध, भाषण, कविता पाठ एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को किया जाता है। जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दो सांत्वना पुरस्कार दिए जाते है।

8- स्नातक स्तर में अध्ययनरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष क्रमशः रू0 3000, 2000, एवं 1500, की प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

9- **पुस्तकालय/वाचनालय** - महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय एंव विज्ञान संकाय की 6000 से अधिक पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध है, साथ ही महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी प्रतियोगी पुस्तकें उपलब्ध है। जिसके माध्यम से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

10- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए पुस्तक पढ़ने हेतु वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

11- **कम्प्यूटर प्रयोगशाला**- महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला है जिसमें 15 कम्प्यूटर हैं जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर का बेसिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता है।

अनुशासन

महाविद्यालय स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने हेतु अनुशासन मण्डल का गठन किया जाता है। अनुशासन मण्डल द्वारा महाविद्यालय में समय-समय पर नियम बनाये जाते हैं, जिनका अनुपालन छात्र/छात्रओं के लिए अनिवार्य है। अनुशासन मण्डल का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है। छात्रों द्वारा किसी भी अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासन

मण्डल को पूर्ण अधिाकार है कि वह छात्र के विरूद्ध उचित कार्यवाही/निष्कासित कर सकता है। महाविद्यालय के सभी छात्रों से आशा की जाती है कि वे महाविद्यालय में अनुशासन तथा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें।

मुख्य नियंता

निम्नलिखित श्रेणी का व्यवहार महाविद्यालय परिसर में अनुशासहीनता की श्रेणी में समझे जायेंगे।

1. प्राचार्य एवं प्राध्यापकों से अशिष्ट व्यवहार, अनुशासनहीनता प्रदर्शित करना, प्रहसन करना।
2. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ अशिष्ट व्यवहार एवं प्रहसन करना।
3. महाविद्यालय में आगन्तुकों के साथ अशिष्ट व्यवहार एवं प्रहसन करना।
4. महाविद्यालय के किसी भी समारोह में अशिष्ट व्यवहार एवं प्रहसन करना।
5. आपत्तिजनक परिवेश में महाविद्यालय में उपस्थित होना।
6. कक्षा में अन्य छात्र/छात्रओं के साथ महाविद्यालय की मर्यादाओं के विरूद्ध आचरण करना 'शस्त्र' लेकर आना।
7. किसी भी छात्र/छात्रा को जाति सूचक शब्दो' का प्रयोग एवं प्रहसन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, जाली कागजात, झूठा प्रमाण पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना।

निषेध

1. महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना तथा दीवारों पर लिखना, संकेतों का निशान बनाना एवं महाविद्यालय के विद्युत उपकरणों से छेड़छाड़ करना।
2. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना।
4. कक्षाओं में च्यूंगम, पान मसाला आदि चबाना और काला चश्मा पहनना।
5. महाविद्यालय के अधिकारी या शिक्षक द्वारा छात्रों का परिचय पत्र माँगने पर इन्कार करना।

परिचय पत्र

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संस्थागत छात्र को महाविद्यालय कार्यालय से परिचय पत्र दिया जाता है। परिचय पत्र छात्र को हमेशा अपने साथ रखना आवश्यक है। यदि कभी महाविद्यालय का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय यदि छात्र परिचय पत्र नहीं दिखाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जाएगा।

2. प्रथम बार निर्गत परिचय पत्र खो जाने पर महाविद्यालय कार्यालय से दूसरा परिचय पत्र दिया जाता है, किन्तु इसके लिए 50/-रू का अतिरिक्त शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा।

3. परिचय पत्र पर मुख्य शास्त्र के हस्ताक्षर नहीं होने पर परिचय पत्र वैध नहीं माना जाएगा।

सुविधायें

पुस्तकालय-

1. महाविद्यालय कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक पुस्तकों का आदान प्रदान होता है।
2. सभी संस्थागत छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर 02 पुस्तकें 15 दिन के लिए निर्गत की जायेंगी। 15 दिन के पश्चात् पुस्तक पुस्तकालय में वापस लौटानी आवश्यक है। 15 दिनों पश्चात् 10 रू0 और एक माह के पश्चात् 15 रू0 प्रतिदिन प्रति पुस्तक अर्थदण्ड देय होगा।
3. पुस्तकों के क्षतिग्रस्त या खो जाने की स्थिति में उसी शीर्षक एवं लेखक की पुस्तक का नवीनतम संस्करण अथवा पुस्तक का दोगुना मूल्य जमा करना होगा।
4. पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत करवाते समय सभी छात्र/छात्राएँ पुस्तकों को भली-भाँति जाँच लें।
5. महाविद्यालय में छात्र/छात्रओं के लिए ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, सभी छात्र/छात्राओं को ई-लाइब्रेरी में कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों का प्रयोग सावधानी एवं जिम्मेदारी के साथ करना अनिवार्य होगा तथा पुस्तकालय नियमों का अनुपालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निर्धारित अर्थदण्ड देय होगा।
6. महाविद्यालय में समाज कल्याण विभाग से दी जाने वाली छात्रवृत्ति अथवा अन्य शासन द्वारा एक राजकीय महाविद्यालय को प्रदत सुविधायें देय होंगी।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन (केन्द्र कोड 011135)-महाविद्यालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अधययन केन्द्र वर्ष 2018-19 से स्थापित है। इसके अन्तर्गत कला एवं विज्ञान संकाय के स्नातक एंव स्नातकोत्तर स्तर पर (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एंव मास्टर ऑफ सोशल वर्क) अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र (कोड 076) महाविद्यालय में ही है।

उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पृष्ठांकन संख्या- डिग्री सेवा/316-18/2018-19 दिनांक 12 अप्रैल 2018 के द्वारा महाविद्यालय स्तर पर रक्षित छात्र निधियों के अन्तर्गत छात्रों से प्राप्त किये जाने वाले वार्षिक शुल्क की राशियों का विवरण।

महाविद्यालय का मदवार शुल्क विवरण

(अ) कोशागार निधियाँ

क्र0सं0	शुल्क का विवरण शासकीय शुल्क	शुल्क
1.	प्रवेश शुल्क	03.00
2.	मंहगाई शुल्क	240.00
3.	विकास शुल्क	20.00
4.	पुस्तकालय शुल्क	03.00
5.	पंखा शुल्क	04.00
	योग	270.00

(ब) महाविद्यालय की छात्र निधियाँ-

	महाविद्यालय शुल्क	
6.	प्रयोगशाला शुल्क	240.00
7.	विद्युत एवं जल शुल्क	60.00
8.	विविध शुल्क	100.00
9.	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	50.00
10.	वाचनालय शुल्क	30.00
11.	विभागीय परिषद्	50.00
12.	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10.00
13.	परिचय पत्र शुल्क	25.00
14.	छात्र संघ शुल्क	45.00
15.	रोवर्स/रेंजर	30.00
16.	महाविद्यालय दिवस	20.00
17.	सांस्कृतिक परिषद्	45.00
18.	महाविद्यालय प्रांगण विकास शुल्क	50.00
19.	कम्प्यूटर इन्टरनेट	80.00

20.	जनरेटर शुल्क	50.00
21.	प्रयोगशाला सामग्री	60.00
22.	कैरियर काउंसलिंग सेल	30.00
23.	प्रशाधन शुल्क	50.00
24.	क्रीडा शुल्क	300.00
25.	प्रायोगिक मौखिक	
	(प्रति प्रायोगिक विषय)	50.00
26.	पी0टी0ए0 शुल्क	30.00
27.	कॉशन मनी	200.00
	योग	1605
	महायोग	1875

विश्वविद्यालय परीक्षा/नामांकन/उपाधि शुल्क आदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राशि

नोट– परीक्षा एवं अन्य शुल्क श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के निर्देशानुसार देय होगा।

विवरणिका संयोजन समितिः–

1. डॉ0 राम सिंह सामंत
2. श्री विनय कुमार पाण्डेय
3. श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट

प्रवेश आवेदन पत्र बिक्री समितिः–

1. श्री अरविन्द कुमार
2. श्री बीना देवी

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक विवरण:-

क्र0सं0	नाम	पदनाम	विषय	मो0न0
01.	प्रो0(डॉ0)योगेश कुमार शर्मा	प्राचार्य	भौतिकी	7500654686
02.	डॉ0 गिरिराज सिंह	सहायक प्राध्यापक	राज.वि.	9997626413
03.	डॉ0 उमेश त्यागी	सहायक प्राध्यापक	इतिहास	9837473962
04.	श्री विनय कुमार पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	9837926677
05.	डॉ0 राम सिंह सामंत	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	7409150642
06.	डॉ0 नीरज नौटियाल	सहायक प्राध्यापक	संस्कृत	8954157715
07.	श्री सुनील प्रसाद	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	8979321615
08.	श्रीमती पूजा रानी	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	8006818807
09.	डॉ0 हिमानी बडोनी	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति वि.	8979353569
10.	डॉ0 केशव प्रसाद डबराल	सहायक प्राध्यापक	भौतिक वि.	9634473841
11.	श्री चेतन भटट्	सहायक प्राध्यापक	रसायन वि.	8057327382

महाविद्यालय में कार्यरत मिनिस्ट्रियल एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विवरण:-

क्र0सं0	नाम	पदनाम	मो0न0
01.	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रशासनिक अधिकारी	9837849194
02.	श्री मानेन्द्र सिंह बिष्ट	मुख्य सहायक	8449739200
03.	श्री संजय कुमार रतूडी	सहायक लेखाकार	6395208188
04.	श्रीमती सीमा देवी	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	9568257383
05.	श्री सुनील रावत	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8958677952
06.	श्रीमती उर्वशी	पुस्तकालय सहायक(सम्बद्ध)	7017693009
07.	उपेन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक (सम्बद्ध)	6397362640
08.	श्री अरविन्द कुमार	कनिष्ठ सहायक	7983127938
09.	श्रीमती बीना देवी	स्टोर कीपर	6397394903
10.	श्री सतीश सिंह नेगी	विद्युतकार	9639123950

11.	श्री गजेन्द्र सिंह	परिचालक (सम्बद्ध)	9720353253
12.	श्री सुशील सिंह नेगी	रात्रि चौकीदार	8057796568
13.	श्री अखिलेश सिंह नेगी	अनुसेवक	7500651421
14.	श्री वेद किशोर सिंह नेगी	माली	9837315915
15.	श्री प्रशान्त कुकरेती	बुक बाइण्डर एवं लिफ्टर	8057371778
16.	श्री धर्मेन्द्र सिंह	पर्यावरण मित्र	9761581175

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मैं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा / रखूँगी तथा किसी भी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा / लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा / रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता / लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वत: निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर-

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यलाय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक के घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती .... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं, तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर–पिता/अभिभावक

देवभूमि उद्यमिता योजना
उद्यमिता विकास कार्यक्रम

महाविद्यालय बिथ्याणी

निवेदक- प्राचार्य एवं समस्त महाविद्यालय परिवार